उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

पिकप भवन, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर

लखनऊ – 226010

वेबसाइट- upsssc.gov.in ई-मेल : online.upsssc@nic.in

विज्ञापन संख्या-16-परीक्षा/2026

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test-PET)-2026

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि	**01-08-2026**
पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	**03-08-2026**
पंजीकरण/शुल्क जमा करने/ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि	**01-09-2026**
शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि	**08-09-2026**

उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक-20 नवम्बर, 2020 सपठित शासनादेश संख्या-316/47-का-3-2025, दिनांक 28-04-2025 द्वारा समूह-'ग' के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में दिनांक 20-11-2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह-'ग' के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन सम्बन्धी कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी।

1- वन टाइम रजिस्ट्रेशन (O.T.R.) की आवश्यकता -

1.1 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन (O.T.R.) व्यवस्था दिनांक 14-07-2026 से प्रचलित है। उक्त व्यवस्था के लागू होने के उपरान्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा समय-समय पर प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करते समय अपनी मूलभूत सूचनाएँ बार-बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में आयोग की विज्ञप्ति संख्या-45/17/विज्ञा०अनु०(ग्यारह)/2026/ओ०टी०आर० (O.T.R.)/2026, दिनांक 14 जुलाई, 2026, आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है।

1.2 अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test–PET)-2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध O.T.R. पंजीकरण व्यवस्था (O.T.R. Registration System) से संबंधित दिशा-निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर ऑनलाइन O.T.R. पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। ऑनलाइन O.T.R. पंजीकरण सम्पन्न होने के उपरान्त ही अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

1.3 प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा OTR में अंकित समस्त विवरण त्रुटि रहित हैं।

1.4 यदि अभ्यर्थी OTR में संशोधन करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 के पंजीकरण से पूर्व OTR में अनिवार्यत: संशोधन करना होगा।

1.5 PET-2025 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से OTR आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का नाम, जन्मतिथि एवं मोबाइल नम्बर अपरिवर्तनीय रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त OTR में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किये जा सकते है।

1.6 नवीन रूप से OTR पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों का मोबाइल नम्बर अपरिवर्तनीय रहेगा। उक्त के अतिरिक्त OTR में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किये जा सकते है।

1.7 प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 की पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी OTR एवं प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 के आवेदन पत्र में उक्त विवरण संशोधित नहीं कर सकेगें। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रत्यावेन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः- आयोग द्वारा भविष्य में परीक्षाओं के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों के आधार का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

2- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता-

2.1-द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न-भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है।

2.2-समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-316/47-का-3-2025,दिनांक 28-04-2025 में उल्लेख है कि, **"सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक-20 नवम्बर, 2020 में दी गयी व्यवस्था में आंशिक रूप में संशोधन करते हुये प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराये जाने, परीक्षा में प्राप्त अंक अगले तीन वर्ष के लिए प्रभावी होने तथा किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नार्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने और उनकी शार्टलिस्टिंग उनके धारित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक नार्मलाइज्ड अंकों के आधार पर किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।" जो प्रभावी है।**

2.3-यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 में आवेदन करने, प्रतिभाग करने अथवा उसके परिणाम/स्कोर कार्ड निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन पर विचार किये जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

3- आयोग की परिधि में आने वाले पद- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत् है-

3.1-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम-2014 की धारा-2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है- "इस अधिनियम के उपबन्ध समूह 'ख' से निम्न समूह 'ग' के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह 'ग' के पदों पर भी लागू होंगे। परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य-क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती हैं।"

3.2-उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-91/2812/47-का-3-14-13/7/2006, दिनांक-15 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचना संख्या-1529/79वि.-1-14-1(क)10/2014, दिनांक-04.12.2014 के द्वारा प्रख्यापित

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 20 सन् 2014) की धारा-2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, वेतन बैंड-1 (रुपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0-1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0 4600/- से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

3.3-जैसा कि विज्ञापन के **प्रस्तर-2.2** से स्पष्ट है कि विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अधियाचनों के सापेक्ष आयोग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु आवेदन के समय प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा/परीक्षाओं के वैध स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु शार्टलिस्टिंग की कार्यवाही आयोग द्वारा की जाएगी। किसी विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करते समय एक से अधिक प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नार्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी एवं उनकी शार्टलिस्टिंग उनके धारित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक नार्मलाइज्ड अंकों के आधार पर की जाएगी।

4- ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति **(Online Application System)** लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट **upsssc.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 के अंतर्गत केवल एक आवेदन करना होगा।

5- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया-

प्रमाणीकरण → पंजीकरण → शुल्क भुगतान → प्रिन्ट आउट

अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुये ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर सकते है-

(a) वन टाइम रजिस्ट्रेशन (O.T.R.) के माध्यम से प्रमाणीकरण:- अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (O.T.R.) संख्या अथवा वन टाइम रजिस्ट्रेशन (O.T.R.) के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नम्बर के माध्यम से आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते है। अभ्यर्थी को लॉगिन करने हेतु O.T.R.संख्या अथवा O.T.R. के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नम्बर अंकित करने के उपरांत **Get OTP** बटन को क्लिक कर **OTP** प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात प्राप्त **OTP** एवं **Verification Code** को प्रविष्ट कर लॉगिन बटन क्लिक करते ही आवेदन पत्र प्रदर्शित हो जायेगा। उक्त आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा O.T.R. में दर्ज विवरण स्वत: प्रदर्शित हो जाएंगे।

(b) आवेदन-पत्र में शेष विवरण अंकित किया जाना:- अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इण्टरमीडिएट (यदि हो), वैवाहिक प्रास्थिति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, सैन्यवियोजित/भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, दिव्यांगता की श्रेणी, आयु में अतिरिक्त शिथिलता सम्बन्धी विवरण इत्यादि अंकित करना होगा।

(c) घोषणा (Declaration):- आवेदन-पत्र के निचले भाग में अभ्यर्थियों के लिए घोषणा प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे घोषणा की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यदि अभ्यर्थी घोषणा से सहमत हैं, तो **"Yes"** विकल्प का चयन कर **"Verification Code"** अंकित करते हुये **"Submit"** बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन क्लिक करते ही **"Registration Slip"** प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंको की पंजीकरण संख्या अंकित होगी। अभ्यर्थी उक्त **"Registration Slip"** को भविष्य के संदर्भ हेतु सुरक्षित रखें।

(d) शुल्क का भुगतान/समायोजन तथा आवेदन पत्र सबमिट करना :- अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के उपरांत "**Registration Slip**" पृष्ठ पर उपलब्ध "**Proceed for Payment**" बटन पर क्लिक कर निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। **अभ्यर्थी शुल्क के भुगतान होने के उपरांत भुगतान की पुष्टि होने तक कुछ समय तक प्रतीक्षा करें। इस अवधि में किसी भी बटन को पुनः क्लिक न करें तथा ब्राउज़र को रिफ्रेश अथवा बंद न करें।**

सफल भुगतान की पुष्टि होने पर आवेदन-पत्र स्वतः डाउनलोड एवं प्रिंट हेतु उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र को डाउनलोड/प्रिंट करने के उपरांत ही आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। शुल्क भुगतान संबंधी प्रक्रिया का विवरण निम्नवत है:-

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान **Credit Card/Debit Card/ Internet Banking/UPI या SBI ई-चालान** के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये कर सकते हैं। **किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है।**

II- यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान किए जाने के उपरांत भी आवेदन-पत्र प्रदर्शित नहीं होता है, तो इसका आशय यह है कि अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष भुगतान किए गए शुल्क का समायोजन **(Reconciliation)** नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर "**Applicant Segment**" के अंतर्गत उपलब्ध "**Update Your Transaction ID by Double Verification Mode**" विकल्प पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से लॉगिन करें। तत्पश्चात "**Verify Transaction ID**" बटन पर क्लिक करें। शुल्क का समायोजन सफलतापूर्वक हो जाने के उपरांत आवेदन-पत्र डाउनलोड/प्रिंट हेतु उपलब्ध हो जाएगा। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से आवेदन-पत्र को डाउनलोड/प्रिंट कर सुरक्षित रख लें।

III- यदि शुल्क का भुगतान असफल **(Failed)** हो जाता है, तो आवेदन-पत्र के स्थान पर **Payment Acknowledgment Receipt (PAR)** प्रदर्शित होगी। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को पहले आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत उपलब्ध "**Update Your Transaction ID by Double Verification Mode**" विकल्प पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से लॉगिन करने के उपरांत "**Verify Transaction ID**" बटन पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर "**Applicant Segment**" के अंतर्गत उपलब्ध "**Application Fee Deposition**" विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

IV- ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान **download** कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

V- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 के आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि के भीतर प्रत्येक दशा में शुल्क का समायोजन सुनिश्चित कर आवेदन-पत्र को डाउनलोड/ प्रिंट अवश्य कर लें। निर्धारित अवधि के भीतर शुल्क का समायोजन कर आवेदन-पत्र को डाउनलोड/ प्रिंट करने के उपरान्त ही आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के विलंब के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

VI- यदि किसी तकनीकी समस्या अथवा अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पा रहें हैं तो उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक पहले आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर Applicant Segment के अंतर्गत उपलब्ध "Update Your Transaction ID by

२१ जनवरी

Double Verification Mode" विकल्प पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 के पंजीकरण संख्या के माध्यम से लॉगिन करने के उपरांत "Verify Transaction ID" बटन पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत उपलब्ध "Application Fee Deposition" विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

कृपया ध्यान दें कि निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क भुगतान अथवा आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। अंतिम तिथि के उपरांत इस संबंध में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन, अनुरोध अथवा दावे पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान एवं समायोजन के उपरांत अपना आवेदन-पत्र डाउनलोड एवं प्रिंट कर उसमें अंकित समस्त प्रविष्टियों का सावधानीपूर्वक परीक्षण अवश्य कर लें।

VII- आवेदन शुल्क – ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क)
1	अनारक्षित (सामान्य)	160.00	25.00	185.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00	25.00	185.00
3	अनुसूचित जाति	70.00	25.00	95.00
4	अनुसूचित जनजाति	70.00	25.00	95.00
5	दिव्यांगजन हेतु	------	25.00	25.00

- **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।**
- **अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।**

(e) आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट प्राप्त करना :- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शुल्क के भुगतान के उपरांत तत्काल अथवा शुल्क समायोजन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने **आवेदन पत्र को डाउनलोड/प्रिंट अवश्य कर लें**। आयोग द्वारा मांग किए जाने पर अभ्यर्थी को इस आवेदन-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी निर्धारित अवधि तक वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध **Print Detailed Application Form** विकल्प पर जाकर अपने **आवेदन पत्र को डाउनलोड/ प्रिंट कर सकते हैं।** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र को डाउनलोड/प्रिंट करने के उपरांत ही आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। ***अभ्यर्थी आवेदन पत्र सबमिट करने की समस्त प्रक्रियाएँ एकबार में ही पूर्ण कर सकते हैं।***

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test–PET)-2026 का विज्ञापन सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा हेतु निर्धारित समस्त अर्हताओं, यथा शैक्षिक योग्यता, अन्य आवश्यक पात्रताओं तथा निर्धारित आयु-सीमा (18 वर्ष से 40 वर्ष) को धारित करते हैं। आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा हेतु आवेदन करने की समस्त अर्हताएँ धारित करते हैं। केवल पूर्णतः पात्र अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश एवं विज्ञापन की प्रति आयोग की वेबसाइट पर **'Live Advertisements' सेक्शन में सम्बन्धित विज्ञापन संख्या के अंतर्गत** उपलब्ध हैं। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त " **User Instructions**" एवं विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात ही **आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।**

यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षण संबंधी प्रावधानों, किसी प्रचलित सेवा नियमावली, शासनादेश अथवा माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर आयु-सीमा में अतिरिक्त शिथिलता का दावा करता है, तो उसे संबंधित अभिलेखों का विवरण, लागू सेवा नियमावली/शासनादेश/माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लेख तथा उसके अनुरूप अपेक्षित अतिरिक्त आयु-छूट का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।

6- आवेदन पत्र में संशोधन-

6.1- अभ्यर्थी आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र के अनुमन्य विवरण में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **होमपेज** पर उपलब्ध **Modify Submitted Application** पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियाँ अंकित करने के उपरांत **Login** करेंगे तत्पश्चात उनके पंजीकृत **Mobile Number/Email** पर एक **OTP (One Time password)** प्राप्त होगा। अभ्यर्थी द्वारा OTP को प्रविष्ट करने के उपरान्त ही संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। **अभ्यर्थी** आवेदन पत्र में ई-मेल, इण्टरमीडिएट अर्हता, वैवाहिक प्रास्थिति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, सैन्यवियोजित/भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, दिव्यांगता की श्रेणी, आयु में अतिरिक्त शिथिलता सम्बन्धी विवरण में संशोधन कर सकते हैं।

6.2- आवेदन पत्र में अनुमन्य संशोधन दिनांक 10-08-2026 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 08-09-2026 निर्धारित है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7- शैक्षिक अर्हता-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 में हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अत: ऐसे सभी अभ्यर्थी, जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली गयी है, वे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 हेतु आवेदन कर सकते हैं।

नोट:- विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न-भिन्न प्रकार के संगत पदों के अधियाचन एवं सेवानियमावली में अर्हता के सम्बन्ध में विद्यमान व्यवस्थाओं के अनुसार ही मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किये जाते हैं। इन विज्ञापनों के सापेक्ष अनिवार्य अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी, जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test- PET) में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा का वैध स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो, के द्वारा ही मुख्य परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। किसी विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करते समय एक से अधिक प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नार्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी एवं उनकी शार्टलिस्टिंग उनके धारित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक नार्मलाइज्ड अंकों के आधार पर की जाएगी।

8- आयु सीमा-

8.1- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 में आवेदन करने हेतु **ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें, जिन्होंने 01 जुलाई, 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो।**

२।७।२६

8.2- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर जारी अधिनियम/शासनादेशों के अनुसार आरक्षित/विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई, 2026 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-2-ई.एम./2001-का-4-2013, दिनांक 27-08-2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

8.3- ऐसे अभ्यर्थी, जो आवेदन हेतु अधिकतम आयु-सीमा पूर्ण कर चुके हैं परन्तु विभाग की संगत सेवानियमावली/ शासनादेशों/ मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में अधिकतम आयु-सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करते हुए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन में तदनुसार पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आवेदन कर सकते हैं। यदि मुख्य परीक्षा, अभिलेख परीक्षण अथवा चयन के स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत विवरण/ सूचना के आधार पर आवेदन किया गया है तो उस दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/चयन निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

8.4- यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 के विज्ञापन में उल्लिखित अर्हताओं को धारित करने मात्र से इसके आधार पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने अथवा चयन हेतु विचार किये जाने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 का परिणाम घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले विज्ञापनों व उनसे सम्बन्धित मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम/ अधिकतम आयु- सीमा की गणना विभागों से प्राप्त अधियाचन, संगत सेवानियमावली के क्रम में विज्ञापन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

9- आरक्षण-

आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान अधिनियम/ शासनादेश एवं सेवानियमावलियों के अनुसार लम्बवत आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) तथा क्षैतिज आरक्षण (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा महिला) अनुमन्य होगा।

10- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 हेतु उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के पत्र संख्या-277/47-का-3-2021-13/07/2020, दिनांक- 19-02-2021 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न है तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।

प्रश्नों की संख्या-100 **परीक्षा की अवधि-2 घण्टा** **पूर्णांक-100**

क्र.सं.	विषय	अंक
1	**भारतीय इतिहासः (Indian History):** • सिन्धु घाटी की सभ्यता • वैदिक संस्कृति	05

राजवंत

	• बौद्ध धर्मः गौतम बुद्ध (जीवनी एवं शिक्षायें) • जैन धर्मः महावीर (जीवनी एवं शिक्षायें) • मौर्य वंश: सम्राट अशोक • गुप्त वंश: समुद्र गुप्त, चन्द्र गुप्त द्वितीय • हर्षवर्द्धन • राजपूत काल • सल्तनत काल • मुगल साम्राज्य • मराठा • ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम • ब्रिटिश राज का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव	
2	**भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनः (Indian National Movement):** • स्वाधीनता आन्दोलन के प्रारम्भिक वर्ष • स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलनः महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका • क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय • विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935 • भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	05

3	**भूगोलः (Geography):**
	• भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल
	  ○ नदियां तथा नदियों की घाटी
	  ○ भूजल संसाधन
	  ○ पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद
	  ○ मरूस्थल और शुष्क क्षेत्र
	  ○ वन
	  ○ खनिज संसाधन (विशेषकर भारत में)
	• भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल
	• जलवायु तथा मौसम
	• टाइम जोन
	• जनसांख्यकीय परिवर्तन तथा प्रवास
		05

4	**भारतीय अर्थव्यवस्थाः (Indian Economy):**
	• भारतीय अर्थव्यवस्था(1947 से 1991 तक)
	  ○ योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनायें
	  ○ मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकासः निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र
	  ○ हरित क्रांति
	  ○ दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड
		05

	○ बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार • वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था • वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार ○ कृषि सुधार ○ ढांचागत सुधार ○ श्रम-सुधार ○ आर्थिक सुधार ○ जी0एस0टी0	
5	**भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन (Indian Constitution & Public Administration):** • भारतीय संविधान ○ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषतायें ○ राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त ○ मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य ○ संसदीय प्रणाली ○ संघीय प्रणाली, संघ एवं केन्द्रशासित प्रदेश, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध ○ न्यायिक ढांचा-सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय • जिला प्रशासन • स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थायें	05
6	**सामान्य विज्ञान (General Science):** • प्रारम्भिक भौतिक विज्ञान • प्रारम्भिक रसायन विज्ञान • प्रारम्भिक जीव विज्ञान	05
7	**प्रारम्भिक अंकगणित (Elementary Arithmetic):** • पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव • प्रतिशतता • साधारण अंकगणितीय समीकरण • वर्ग एवं वर्गमूल • घातांक एवं घात • औसत	05
8	**सामान्य हिन्दीः (General Hindi):** • संधि • विलोम शब्द • पर्यायवाची शब्द • वाक्यांशों के लिए एक शब्द • लिंग	05

	• समश्रुत भिन्नार्थक शब्द • मुहावरे- लोकोक्तियाँ • सामान्य अशुद्धियां • लेखक और रचनाएँ (गद्य एवं पद्य)	
9	**सामान्य अंग्रेजी (General English)** • अंग्रेजी व्याकरण • अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न	05
10	**तर्क एवं तर्कशक्ति: (Logic & Reasoning):** • वृहत एवं लघु • क्रम एवं रैंकिग • संबंध • समूह से भिन्न को अलग करना • कैलेण्डर एवं घड़ी • कारण और प्रभाव • कोडिंग-डिकोडिंग (संख्या तथा अक्षर) • निगमनात्मक तर्क/कथन विश्लेषण एवं निर्णय	05
11	**सामयिकी (Current Affairs):** • भारतीय एवं वैश्विक	10
12	**सामान्य जागरूकता (General Awareness)** • भारत के पड़ोसी देश • देश, राजधानी एवं मुद्रा • भारत के राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश • भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद • राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस • विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय • भारतीय पर्यटन स्थल • भारत की कला एवं संस्कृति • भारत एवं विश्व के खेल • भारतीय अनुसंधान संगठन • प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक • पुरस्कार एवं विजेता • जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण	10

राजीव

13	अपठित हिन्दी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण-02 गद्यांश (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10
14	ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण-02 ग्राफ (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10
15	तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण-02 तालिकाएं (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10

शर्तें-

1- क्रमांक-01 से 09 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर (Difficulty Level) राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद (NCERT) द्वारा निर्धारित सेकेन्ड्री/सीनियर सेकेन्ड्री स्तर का होगा।

2- परीक्षा का प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा।

3- प्रत्येक गलत उत्तर हेतु ¼ अंक की कटौती की जाएगी।

11- लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट-

यदि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली (Shift)/ दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों (Shifts)/ दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों (Shifts)/ दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर के नार्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में, आयोग की सूचना संख्या-42/05/विज्ञा० अनु०(ग्यारह)/2019, दिनांक- 22 मई, 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

12- स्कोर की वैधता अवधि-

उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-316/47-का-3-2025, दिनांक 28-04-2025 के क्रम में **प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक (Score), आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम निर्गत किये जाने/ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की तिथि से 03 वर्ष तक प्रभावी होंगे।**

13- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

13.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

13.02- अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13.03- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

13.04- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

13.05- आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13.06- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

13.07- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

13.08- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और वह अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

13.09- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे।

13.10- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।

13.11- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित समस्त सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

13.12- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करें जब वह संतुष्ट हो जायें कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।

13.13- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

13.14- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

13.15- ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आवेदन में अनुमन्य संशोधन किया जा सकेगा। उक्त तिथि के बाद आवेदन पत्र में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा। अतः पंजीकरण करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी वांछित सूचनायें सावधानीपूर्वक सही-सही भरें। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाएं अंतिम मानी जायेंगी व उनके आधार पर ही अभ्यर्थियों की विभिन्न मुख्य परीक्षाओं हेतु शार्टलिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जाएगी। अतः यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में कोई त्रुटि अभ्यर्थी के संज्ञान में आती है तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर लें। इस संबन्ध में

आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा गलत /त्रुटिपूर्ण विवरण भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13.16- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

13.17- आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कारित कोई भी ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास (परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने सम्बन्धी प्रयत्न/अनुचित साधन का प्रयोग अथवा परीक्षा के किसी भी चरण में प्रतिरूपण **Impersonation** सम्बन्धी प्रकरणों सहित) जो कि भारतीय न्याय संहिता अथवा भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन द्वारा प्रख्यापित किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है) व अन्य अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित भी किया जा सकता है।

13.18- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस सम्बन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।